ISSN : 3048-6203 Volume -2| Issue -2| July - Dec 2025

शोध भूमि
शिक्षा एवं शिक्षण शास्त्र विषय की पूर्व समीक्षित शोध पत्रिका
Page No. : 592-596

ग्राम स्वराज व्यवस्था का ऐतिहासिक परिदृश्य

डॉ0 मो0 इलियास
विभागाध्यक्ष, इतिहास
मौलाना आजाद कॉलेज, रांची, झारखण्ड।
E-mail : Jharkhandkeepukar@gmail.com

सारांश

ग्राम स्वराज व्यवस्था की बहुत ही प्राचीन पृष्ठभूमि है। भारतीय संदर्भ में तो यह और भी पौराणिक रहा है। वास्तव में प्राचीनतम भारतीय शासन प्रणाली में ग्रामीण शासन व्यवस्था की उपस्थिति रही है। यदि पौराणिक भारतीय शासन–प्रशासन प्रणाली का अध्ययन किया जाए तो हम पाते हैं कि प्रारंभिक काल खण्ड से ही भारतीय गांवों में अपनी शासन व्यवस्था रही है जिसमें गांव के सभी मुददों पर विचार विमर्श गांव स्तर पर ही होता रहा है। यह ग्रामीण व्यवस्था कालांतर में और भी विकसित होती गई और आज के लोतांत्रिक शासन प्रणाली की जड़ में यही ग्रामीण व्यवस्था है। इसलिए हम कह सकते है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की जननी ग्राम स्वराजस्व व्यवस्था ही है। यही कारण है कि यह व्यवस्था उतरोतर विकसित होती गई। जैसे–जैसे शासन प्रशासन की प्रणाली विकसित होती गई, इस पौराणिक व्यवस्था का स्वरूप भी बदलता गया।

बीज शब्द – संविधान, पंचायत, राज व्यवस्था, नीति निर्देशक, अधिकार स्वतंत्र शासन, मौलिक सिद्धांत, सरकार, विकेन्द्रीकरण, प्रतिवेदन, विकास कार्य, जनतांत्रिक संस्था, ग्रामीण क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र, कानून, विस्तार

परिदृश्य –

भारत के संविधान के निर्माण के समय पंचायती राज व्यवस्था को प्रभावकारी एवं उपयोगी बनाने के लिए भारत के संविधान भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्त्व में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 40 में यह कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचारतों की स्थापना के लिए

आवश्यक कदम उठाऐंगें और उन्हें ऐसी शक्तिया और अधिकार प्रदान करेगा जो एक स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हो।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के प्रावधानों से प्रेरित हो कर ग्राम पंचायतों के गठन की प्रक्रिया के लिए प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयत्नों से कांग्रेस ग्रान पंचायत समिति की नियुक्ति की गई। इस समिति की 19 जुलाई 1954 को जारी विज्ञप्ति में विभिन्न सुझावों में एक सुझाव यह भी था कि संविधान में निर्धारित मौलिक सिद्धांतों की प्राप्ति, तभी हो सकती है जब ग्राम पंचायतों को आर्थिक और राजनैतिक शक्ति का विकेन्द्रीकरण गंभीर एवं सुव्यवस्थित रूप से किया जाये।

बलवंत राय मेहता सम्मिति (1956)

इसी संदर्भ में पं० जवाहरलाल नेहरू के. निर्देश पर राष्ट्रीय विकास परिषद् ने 1956 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया जिसने 1957 में अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के सभी विकास कार्यों को संपादित करने के लिए एक व्यापक प्रतिनिधि वाली जनतांत्रिक संस्था की स्थापना हो जिस पर उस का अपना शासन हो और उस पर अभिकर्ता इकाई का बहुत अधिक नियंत्रण नहीं हो। इस तरह इस समिति ने पंचायती राजा संस्था को विकेन्द्रीत व्यवस्था के रूप में तीन स्तरों वाला पंचा यती राज कायम करने की सिफारिश की। इस के आधार पर देश के विभिन्न राज्य सरकारों ने पंचायती राज अधिनियम पारित किए।

अशोक मेहता समिति (1977)

केन्द्र सरकार द्वारा 1977 में श्री अशोक मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था की अनेक त्रुटियों तथा दुर्बलताओं को रेखांकित करके उनके कारणों पर प्रकाश डाला। समिति ने नौकरशाही की बढ़ती हुई भूमिका को चिंताजनक बताया तथा स्थनीय स्वशासन की वास्तविक अर्थों में विकेन्द्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया। समिति ने सुझाव दिया कि विकेंद्रीकरण की बुनियादी इकाई खंड स्तर पर होनी चाहिए और जिला स्तर की संस्था की भूमिका केवल सलाह देने की होनी चाहिए।

जी० वी० के० राय समिति (1985)

1985 में जी०वी०के० राय समिति ने सुझाव दिया कि पंचायत संस्थाओं व पुनर्जीवन हेतु राज्य के अधिकार स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को हस्तांतरिक किया जाये।

एल०एल० सिंघवी समिति (1986)

1986 में एम०एल० सिंघवी समिति का गठन किया गया। इस समिति द्वारा पंचायत संस्थाओं को मान्याता/स्थायित्व प्रदान करने के लिए एव अध्याय शामिल करवाने की सिफारिश की।

संविधान का 73वां संशोधन

11991 में में प्रधानमंत्री नरसिंहराव नें संविधान का 7रू3यां संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्य सभा में पारित करवाया और अप्रैल 1993 से यह देश का कानून बन गया। इस तरह से देश में त्रि–स्तरीय पंचायत राज्ज व्यवस्था 1. पंचायत, 2. पंचायत समिति और 3. जिला परिषद लागू हुई।

अनुसूचित क्षेत्र में पंचायती राज का विस्तार (पेसा)

तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने आदिवासी बहुल क्षेत्रों का दौरा करने के बाद उनके दयनीय स्थिति को देखते हुए भारत सरकार के तत्कालीन अनु.जाति/जनजाति आयुक्त डॉ० ब्रहमदेव शर्मा से विचार–विमर्श के आधार पर आदिवासी वहुल क्षेत्रों के लिए अलग से कानून बनाने की बात कही।

भूरिया कमेटी (1995)

इ.सको जारी रखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव ने सांसद दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में भूरिया कमेटी का गठन किया। भूरिया कमेटी की अनुशंसा पर 16 दिसंबर 1996 को अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत। राज विस्तार अधिनियम (पेसा) संसद में पारित किया गया। 24 दिसंबर 1996 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही यह कानून बन गया।

झारखाण्ड पंचायत राज अधिनियम (2001)

झारखण्ड राज्य के गठन के बाद 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 तथा संविधान संशोधन अधिनियम 1996 (अनुसूचित क्षेत्र) द्वारा संविधान में स समागत प्रयोजनों, सारभूत तथ्यों और देशा निर्देशों के अनुरूप झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम 2001 बनाया गया।

पेशा नियमवली (2025)

झारखण्ड में पेसा नियमावली को अधिसूचित कर दिया गया है। राज्य में पेसा नियमावली लागू हो चुकी है। वास्तव में यह झारखण्ड के लिए एक महत्वपूर्ण कदम कहा जा सकता है।

परन्तु इसके भी कई पक्ष हैं। राज्यवासियों की यह एक चिर प्रतिक्षित मांग रही है कि झारखण्ड में पेसा कानून लागू की जाए। इसी मांग के अनुरूप राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है।

झारखंड सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों के लिए ष्पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) झारखंड नियमावली (पैसा)–2025 लागू कर दिया है। सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी की. यह नियमावली राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से लागू हो गयी है। इसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों की पारंपरिक व्यवस्थाओं को सशक्त बनाना और स्वशासन को मजबूती देना है।

पेसा नियमावली की एक अहम बिन्दु जनजातीय समाज के लिए रूढिवादी मान्यताओं का सवाल है। यह सवाल अभी भी अनुतरित है। इस संदर्भ में जनजातीय विशेषज्ञ निशा भगत ने लिखा है कि आदिवासी समाज के रूढ़िजन्य विधि यानी श्कस्टमरी संबंधित है जैसे जन्म, मृत्यु (अंतिम संस्कार), आदिवासी समाज में कानून और धर्म अलग नहीं हैं। नियम नहीं हैं, बल्कि उनका आध्यात्मिक और धार्मिक रिवाज – जीवन को प्रकृति, पूर्वजों और देवताओं के साथ लॉ, सामाजिक एवं धा मॅक नियम से शादी, उत्तराधिकार निः श्रम, इत्यादि। रूदिजन्य विधियाँ केवल सामाजिक आधार है। यह नियम, प्र था और रीति संतुलित रखने के लिए बने हैं।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 (3) (क) में रूढ़िजन्य विधि को कानून के रूप में मान्यता दी गई है। यानी आदेवासी समाज के श्रूढ़िजन्य विधि या प्रथा को भारती य कानून के अधिनियम, अध्यादेश, नियम, अधिसूचना इत्यादि, के साथ बराबर का दर्जा दि या गया है।

पेसा कानून 1996 : दिजन्य विधि और धार्मिक प्रथाओं को संरक्षण देता है। वन अधिकार अधिनियम, 2006 वनवासियों और परंपरागत आदिवार ती समुदायों के रूढ़िजन् य कानूनों से उत्पन्न अधिकारों को मान्यता देता है। इस प्रकार का ई अधिनियम में परंपरागात रुदिजन्य कानून को मान्यता दी गई है।

न्यायालय के अनुसार परंपरागत रुदिजन्य कानून,में आध्यात्मिक विश्वास और कर्तव्य शामिल हैं जो आदिवासी समाज के भूमि, प्रति, पूर्वज में और देवतों के बीच के संबंध को परिभाषित करते हैं। आदिवासी हमेशा पूर्वजों, प्रकृति और देवताओं का हिरू ता है इसी कृष्टिकोण से आदिवासी रीति रिवाज तय होते हैं। जल जंगल जमीन के परंपरागत प्रबंधन में भी, आदिवासी सामाज प्रकृति, पूर्वजों और देवतों के साथ संतुलन बनाने का प्रयास करता है।

राज्य तथा केन्द्र सरकार के कानून और धर्म अलग अलग हैं। किंतु, आदिवासी समाज में रूदिजन्य विधि अन्तर्गत सामाजिक कानून तथा धार्मिक कानून, आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं।

इस सभी सवालों में ही पेसा नियमावली की आत्मा अर्नर्निहित है।

संदर्भ सूची

1. पेशा कानून और रूढिजन्य आदिवासी – निशा उरांव – सखुआ संस्कृति प्रकाशन
2. ग्राम स्वराज व्यवस्था – के0एस0आर0ए0 प्रकाशन
3. स्थानीय स्वशासन व्यवस्था : संक्षिप्त परिचय – आई.जी.एस.एस. – टी0आर0सी0एस0सी0 प्रकाशन
4. पंचायती राज विभाग, झारखण्ड सरकार की अधिसूचना संख्या– 01 स्था (वि0) 166 / 2013 (खण्ड–1) 40 / पे0 रांची, दिनांक 02.01.2026